


7-2-22

वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट डेम कुमार, पतशम, एव बलशम स्वय उपस्थित। वकील अपीलान्ट्स ने दिनांक 4-1-2022 को प्रार्थना पत्र पेश कर अपील आगे नहीं चलाने पर अपील विद्वां निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर आज बड़स सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट श्री महेश कुमार स्वामी ने विद्वां प्रार्थना पत्र पर अंकित किन्तुओं को दोहराते हुए बड़स कर कहा कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अपीलान्ट्स उपरोक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपील जरिये विद्वां निरस्त करवाई जावे। हमने विद्वां प्रार्थना पत्र एव पत्रावली का अवलोकन किया तथा बड़स पर मनन किया। अपीलान्ट डेम कुमार, पतशम एव बलशम जो कि न्यायालय में व्यक्तिशः उपस्थित है ने प्रार्थना पत्र मध्य आधार कार्ड (पहचान पत्र) प्रस्तुत कर अपील आगे नहीं चलाने के सम्बन्ध में कथन किया। अपीलान्ट्स स्वयं इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है, अतः विद्वां प्रार्थना पत्र

लगाता है

||
अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर


ड.वि. प्रताप सिंह


ड.वि. पतशम


ड.वि. कुमार

पतशम
M. P. Singh
महेश कुमार स्वामी
(अभिभाषक)

तारीख	हुकम या कार्यवाही मग इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>रसीद किंग जाकर अपील अपील-रस लिये (WITHDRAW) विज्ञापन प्रकाशन की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। आदेश से प्रमाणित प्रति के साथ उच्च न्याय न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली पार तर्तीक तकमिल दायित्व दफ्तर रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">11/12/22 अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर</p>	<p>अपील-रस का रिकॉर्ड भेजा 72-73/112-22</p>